



उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम

## दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

CIN: U31200UP2003SGC027460

पत्रांक-10327/प्र०नि०/का०प्र०/अ०अ०-1/अवर अभि०

दिनांक 30/06/2022

## कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा निगमहित में अधोनामित अवर अभियन्ताओं को स्तम्भ सं०-3 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से प्रशासनिक आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित कर, स्तम्भ सं०-4 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान पर तैनात/आवटित किया जाता है :-

क्र० सं०	अवर अभि० का नाम/ (गृह जनपद)	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	स्थानान्तरण पर तैनाती का कार्यालय/स्थान
1	2	3	4
1	श्री रामकृत (चंदौली)	वि०परी०ख०, कानपुर देहात	मुख्य अभियन्ता (वितरण), द०वि०वि०नि०लि० बांदा क्षेत्र, बांदा।
2	श्री रामबहादुर बाथम (कानपुर देहात)	विद्युत वितरण खण्ड, झींझक, कानपुर देहात	मुख्य अभियन्ता (वितरण), द०वि०वि०नि०लि० बांदा क्षेत्र, बांदा।
3	श्री गया प्रसाद गौतम (झांसी)	वि०वि०ख०, मऊरानीपुर	मुख्य अभियन्ता (वितरण), द०वि०वि०नि०लि० बांदा क्षेत्र, बांदा।
4	श्री सतगुरु शरण (बांदा)	वि०वि०ख०, मऊरानीपुर	मुख्य अभियन्ता (वितरण), द०वि०वि०नि०लि० बांदा क्षेत्र, बांदा।
5	श्री शान्तेवर प्रसाद (झांसी)	वि०वि०ख०-द्वितीय, ललितपुर	मुख्य अभियन्ता (वितरण), द०वि०वि०नि०लि० बांदा क्षेत्र, बांदा।
6	श्री मोहन कृष्ण (बांदा)	वि०वि०ख०-प्रथम, उरई	मुख्य अभियन्ता (वितरण), द०वि०वि०नि०लि० बांदा क्षेत्र, बांदा।
7	श्री सुमित कुमार साहू (झांसी)	वि०वि०ख०-प्रथम, उरई	मुख्य अभियन्ता (वितरण), द०वि०वि०नि०लि० बांदा क्षेत्र, बांदा।
8	श्री राजेश शाक्या (झांसी)	वि०वि०ख०-द्वितीय, उरई	मुख्य अभियन्ता (वितरण), द०वि०वि०नि०लि० बांदा क्षेत्र, बांदा।
9	श्री होशियार सिंह (आगरा)	वि०न०वि०ख०-प्रथम, मथुरा।	मुख्य अभियन्ता (वितरण), द०वि०वि०नि०लि० अलीगढ़ क्षेत्र, अलीगढ़।
10	श्री अजय कुमार लिटोरिया (झांसी)	वि०वि०ख०, महोबा।	मुख्य अभियन्ता (वितरण), द०वि०वि०नि०लि० झांसी क्षेत्र, झांसी।

- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका सं० 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- नवतैनात स्थान में कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाणक कारपोरेशन/निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये अन्यथा की स्थिति में कार्यालय ज्ञाप सं०: 430-ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2019-100(1)प्र०सु०/92 दिनांक 03.06.2019 द्वारा निर्गत स्थानान्तरण नीति के बिन्दु सं० 9(i) एवं 9(ii) में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरण प्रक्रिया के दौरान स्थानान्तरित अधिकारी को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्ति तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं० 5910/गोपनीय/पाकालि/(06)/2006, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या पर अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करेंगे।
- यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान अंकित कार्यालय/स्थान से भिन्न है, तो उस दशा में कार्यालय ज्ञाप में अंकित कार्यालय/स्थान के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान प्रत्येक व्यावहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।

प्रबन्ध निदेशक



उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम

## दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

CIN: U31200UP2003SGC027460

पत्रांक- 10327-प्र०नि०/का०प्र०/तददिनांक 30/06/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, 14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (तकनीकी/वाणिज्य/का०प्र० एवं प्रशा०/वित्त), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
3. मुख्य अभियन्ता (वितरण) द०वि०वि०नि०लि०, आगरा क्षेत्र-प्रथम/द्वितीय/अलीगढ़/झांसी/कानपुर/बांदा।
4. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, द०वि०वि०नि०लि०
5. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, द०वि०वि०नि०लि०
6. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, 14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. सम्बन्धित अधिकारीगण।
8. प्रबन्ध निदेशक (कैम्प), द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
9. पी०एफ०/कट फाइल।

(प्रवीन कुमार)  
अधिशासी अभियन्ता (प्रशासन)